न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :- 61/18 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- जाना देवी बनाम सुप्यार देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
6-9-19	पत्रावली प्रस्तुत हुई । उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली पर विद्वान वकील रेस्पो0 ने तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 2.7.19 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट एवं मूल वाद नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया है । प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय द्वारा धारा 212 के प्रार्थना पत्र में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4.1.2018 के खिलाफ है । चूंकि जब तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद एवं धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति मे धारा 212 के प्रार्थना पत्र में पारित अंतरिम आदेश के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner